झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–23 वर्ष 2019

कमल कुमार सिंघानिया, उम्र लगभग 54 वर्ष, पिता–स्वर्गीय प्रहलाद रॉय सिंघानिया, निवासी–सत्या एन्क्लेव, कांके रोड, डाकघर एवं थाना–कांके, जिला–राँची, झारखण्ड

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. अमित कुमार सिंह, पे0–श्री सुबाश सिंह, निवासी–अनुग्रह नगर, धनसार, धनबाद (झारखण्ड)

.... विपक्षीगण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री चंद्रजीत मुखर्जी, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– श्री राम प्रकाश सिंह, ए0पी0पी0।

विपक्षी पक्ष सं0 2 के लिए :– श्री अंजनी कुमार, अधिवक्ता।

05/दिनांक 06.03.2019

1. वर्तमान याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद की अदालत में लंबित सी0पी0 वाद संख्या–529/11833 वर्ष 2014 की पूरी आपराधिक प्रक्रिया को अभिखंडित करने के लिए दाखिल किया गया है।

2. याचिकाकर्त्ता अर्थात् निदेशक, मैसर्स टॉपलिंक मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत संज्ञान लिया गया था, जो कि शमनीय अपराध है।

3. विपक्षी पक्ष सं0 2/शिकायतकर्त्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उनकी शिकायत का निवारण कर दिया गया है और उन्होनें याचिकाकर्त्ता के साथ मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। समझौते के मद्देनजर, विपक्षी पक्ष संख्या 2/शिकायतकर्त्ता मामले के अभियोजन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

4. सुना है, रिकॉर्ड के परिशीलन करने पर, यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त समझौता याचिका दायर की गई है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 और 420 के अधीन अपराध शमनीय प्रकृति के हैं। उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों में, कार्यवाही जारी रखने से केवल अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा। इसलिए, न्याय हित में, सी0पी0 वाद संख्या–529/11833 वर्ष 2014 में अग्रिम प्रक्रिया को, एतद्द्वारा, अभिखंडित किया जाता है और याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)